2011 (2) एस. सी. आर. 410

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

विरुद्ध

सुरेश कुमार

सिविल अपील संख्या 2080/2011

2 फरवरी 2011

(हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के आर प्रसाद, न्यायाधिपति)

सेवा अधिनियम . कर्मचारी की एक निष्चित अवधि तीन वर्ष के लिए नियुक्ति - दो वर्ष बाद सेवा का समापन इस आधार पर कि वह अवैध रूप से अनुपस्थित रहा - चुनौति पुनर्नियुक्ति देने व सेवा को लगातार मान्य तथा पूर्व के वेतन को देने की मांग निचले न्यायालय में की गई। अपील में निर्णय किया गया कि नियुक्ति ही तीन वर्ष के लिए थी तथा उक्त अवधि से अधिक अवधि का फायदा कर्मचारी को निचले न्यायालयों द्वारा दिया गया है जो गलत है।

आदेश इस इस सीमा तक बदला गया कि कर्मचारी 3 वर्ष तक सेवा में माना जायेगा। जहां तक उसके पूर्व के वेतन का प्रश्न है, यह न्यायालय के

स्वविवेक पर निर्भर है। कर्मचारी का आचरण व नियोक्ता की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है। चूंकि नियोक्ता समाप्त हो चुका है अतः कर्मचारी को पुराने वेतन का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील सं. 2080/2011

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दीवानी विविध रिट याचिका 30651/1992 के निर्णय व आदेष दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध)

राकेष उत्तम चन्द उपाध्याय, अपीलार्थी की ओर से

सुबोध कुमार पाठक यशानंद एंव धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश प्रसारित किया गया।

आदेश

अनुमति प्रदान की गयी।

उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम लिमिटेड के लिए बताया गया है कि वह बंद हो चुका है तथा उसका मामला औद्योगिक व विŸतीय पुनर्निर्माण बोर्ड; बी आई एफ आर के समक्ष विचाराधीन है। प्रत्यर्थी सुरेश कुमार को उप

प्रबंधक ;निर्यामक के पद पर तीन वर्ष के लिए 21.04.1987 को नियुक्त किया गया था। इस आदेश के अनुसार उसकी सेवायें तीन वर्ष की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेंगी। यदि उसे खंड 1 के तहत बढ़ाया नहीं गया हो। इस प्रकार यह भी प्रावधान किया गया है कि सुरेश कुमार की नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तीन माह का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा अथवा नोटिस के एवज में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। स्वीकार्य रूप से प्रत्यर्थी ने सेवायें 07.09.1987 को प्रारम्भ की। लेकिन उसकी सेवायें 26.04.1989 के आदेश द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दी गयी कि वह लम्बी अवधियों के लिए बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहता है तथा वह अवैध रूप से मार्च 1989 से लगातार अनुपस्थित है। 26ण्04ण्1989 के इस आदेष को प्रत्यर्थी ने उŸार प्रदेष लोक सेवा ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय दिनांक 07ण्05ण्1992 में यह तय किया कि अपीलार्थी का आदेश दागदार है। क्योंकि इसमें प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया गया है कि वह लगातार लम्बे समय से अनुपस्थित है। अतः प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति देने लगातार सेवा में मान्य तथा बकाया वेतन देने का आदेष किया गया। अपीलार्थी ने इस ओदष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जो निर्णय दिनांक 21.05.2007 द्वारा खारिज कर दी गयी। इस पृष्ठभूमि में यह मामला हमारे सामने आया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दो तर्क उठाये हैं कि प्रत्यर्थी की अवैध गैर.हाजिरी को किसी भी तरह से दाग लगाने वाला नहीं कहा जा सकता तथा इस प्रकार का निर्णय स्वीकार योग्य नहीं है। विकल्प में उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी ने 07.09.1987 को तीन वर्ष के लिए कार्य ग्रहण किया था जो 06.09.1990 को समाप्त होता है। अतः दिया गया निर्णय कि उसे पुनः नियुक्ति दी जायेए गलत है। यह भी कहा गया है कि इस आदेष के तहत जो ट्रिब्यूनल व उच्च न्यायालय ने दिया है, प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति दे दी गयी है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने ट्रिब्यूनल व उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया। मामले के तथ्यों को देखते हुए हमें यह परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहती कि 260.04.1989 का आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी गयी, दागदार था। यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति एक तय अवधि 3 वर्ष के लिये थी जो 06.09.1990 को पूर्ण होती है। 06.09.1990 से आगे उसे ट्रिब्यूनल अथवा उच्च न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता था। हम यह पाते हैं कि उक्त आदेषों में इस हद तक परिवर्तन करने की गुंजाइश है कि अपीलार्थी को 06.09.1990 के पष्चात नौकरी में नहीं माना जाये। दूसरा वर्ष 5 माह का वेतन प्रश्नगत है। हम इस राय के हैं कि यह वेतन देने का स्वविवेक न्यायालय तथा कर्मचारी के चरित्र व आचरण पर निर्भर है। जो इस मामले में महत्वपूर्ण है। नियोक्ता की आर्थिक स्थिति को भी हमें

ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इस राये के हैं कि प्रत्यर्थी का चरित्र व आचरण तथा अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति देखते हुए प्रत्यर्थी को पुराने वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है।

तदानुसार हम उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार करते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।